



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

No. 2018/HQ/Admin/RTI-132

New Delhi: 11.04.2018

Sh. Ravi Kumar Gupta
Shujatpur Bamhrauli,
Bharwari, Kaushambi
UP-212201

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Original Application dated 09.03.18 received on 13.03.18 from **Sh. Ravi Kumar Gupta.**

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached as Annex "A".

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/ Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

9717636811

Copy to:-

CPM/Allahabad (W):- For Information & Record only.

No. ALD/W/EN/RTI/49/Vol.III

Dated : 06.04.2018

उपमहाप्रबन्धक / प्रशासन / आर.टी.आई
मुख्यालय, डीएफसीसीआईएल
5 वी मंजिल,
प्रगति मैदान मेट्रो, बिल्डिंग काम्पलेक्स
नई दिल्ली-110001


विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत श्री रवि कुमार गुप्ता, कौशाम्बी
को सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्र संख्या 2018/HQ/ADMIN/RTI-132 दिनांक 14.03.2018

जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचनाओं का विवरण
बिन्दुवार निम्नवत् है-

- क्रम सं० 1- के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रेलवे लाइन के किनारे अन्तिम छोर पर दक्षिण तरफ
से 03 मी० जगह छोड़कर बाउण्ड्री केवल आवादी भाग में दी जायेगी एवं वही जगह
रास्ते के रूप में ग्रामवासी उपयोग कर सकेंगे।
- क्रम सं० 2- के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में उस ग्राम से अधिग्रहण के अतिरिक्त
और भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव नहीं है।
- क्रम सं० 3- के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में स्थित सुजातपुर पर रेलवे स्टेशन से
आगामी नया बनने वाले स्टेशन में कोई सम्बन्ध नहीं है। दोनों अलग-अलग हैं। यह
स्टेशन केवल मालगाडी चलाने हेतु प्रस्तावित है।
- क्रम सं० 4- के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निवर्तमान में अलग से अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव
नहीं है।
- क्रम सं० 5 (i)- के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि साउथ तरफ में बस्ती की ओर अतिरिक्त भूमि
अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है।

(ii)- के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवश्यकतानुसार भूमि का अधिग्रहण किया जा
सकता है। अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव नहीं है।



(कृष्ण रंजन श्रीवास्तव)

सहा. जनसूचना अधिकारी /
सहा. परियोजना प्रबन्धक / वित्त
डी.एफ.सी.सी.आई.एल,
इलाहाबाद (पश्चिम)